संख्या-135/2019/2258/22-2-2019-17(955)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2019***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश निगम पुत्र श्री मिठ्ठूलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-06-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दिनेश निगम पुत्र श्री मिठ्ठूलाल, निवासी प्लाट नं0-08, मैरी जीसस स्कूल रोड, के0डी0ए0 कालोनी, देहली सुजानपुर, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने पीसीओ लगवाने हेतु आवेदन किया था। लाइसेंस की पत्रावली प्रेम नरायन मिश्रा, कामर्शियल मैनेजर के स्तर पर लम्बित होने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 30-09-2002 को समय लगभग 01:40 बजे देशी कट्टे से गोली मारकर प्रेम नारायण मिश्रा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-320, 321/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 01.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 16 वर्ष, 00 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 08 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पीसीओ लगवाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 30-09-2002 को देशी कट्टे से गोली मारकर प्रेम नारायण मिश्रा, कामर्शिल मैनेजर की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 40 वर्ष है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समिति की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश निगम पुत्र श्री मिठ्ठूलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिनेश निगम (बन्दी संख्या-27272) पुत्र श्री मिठ्ठूलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-135/2019/2258(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-135/2019/2258/22-2-2019-17(955)/2019
दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश निगम (बन्दी संख्या-**27272**) पुत्र श्री मिठ्ठूलाल, निवासी प्लाट नं0-08, मैरी जीसस स्कूल रोड, के0डी0ए0 कालोनी, देहली सुजानपुर, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने पीसीओ लगवाने हेतु आवेदन किया था। लाइसेंस की पत्रावली प्रेम नरायन मिश्रा, कामर्शियल मैनेजर के स्तर पर लम्बित होने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 30-09-2002 को समय लगभग 01:40 बजे देशी कट्टे से गोली मारकर प्रेम नारायण मिश्रा की हत्या कर दी। **उक्त अपराध हेतु** बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-320, 321/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 01.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 16 वर्ष, 00 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 08 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने** बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। **प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि** बन्दी ने पीसीओ लगवाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 30-09-2002 को देशी कट्टे से गोली मारकर प्रेम नारायण मिश्रा, कामर्शिल मैनेजर की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 40 वर्ष है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समिति की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश निगम पुत्र श्री मिठ्ठूलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in